



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 545 - का०वि०नी० एवं वे०प्र०- 29 / पाकालि / 2012 - 33-वे०प्र०-(30)/99 दिनांक 30 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन द्वारा जारी आदेश सं० जी-1-701/दस-2011-226/2008 टी०सी०-1 दिनांक 22.12.2011 को अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप मकान किराया भत्ता सम्बन्धी कारपोरेशन आदेश सं० 177-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दिनांक 19.02.2009 में आंशिक संशोधन के उपरान्त सहारनपुर नगर को श्रेणी-'सी' से श्रेणी-'बी-2' में वर्गीकृत करते हुए पावर कारपोरेशन में कार्यरत कर्मचारियों को 'बी-2' श्रेणी के नगर का मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
3. अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं० 545 -(I) का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 तददिनांक।

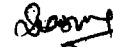
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ / केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 9- मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

(क्रमशः.....)

- 11- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निदेशक मण्डल की दिनांक 15 जून, 2012 को सम्पन्न नब्बे (50)/12 बैठक में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(आर०के० श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

